न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

हंजादेवी पत्नि स्वर्गीय धन्नाराम जी, जाति-माली, निवासी-गोयली, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1.सीतादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति- माली, निवासी- गोयली, तह. व जिला- सिरोही
2.अमृतलाल पुत्र स्व. श्री धन्नाराम, जाति- माली, निवासी-गोयली, तह. व जिला-सिरोही
3.ग्राम पंचायत, गोयली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, गोयली, तह. व जिला- सिरोही
4.धीरेश कुमार पुत्र स्व. धन्नाराम जी, जाति-माली, निवासी-गोयली, तहसील-सिरोही
5.श्रीमती जशोदा माली पुत्री स्व. धन्नाराम जी, जाति-माली, निवासी-गोयली, तह. सिरोही
6.श्रीमती कमला माली पुत्री स्व. धन्नारामजी, जाति-माली, निवासी-भूतगांव, तह. सिरोही
7.श्रीमती गीता माली पुत्री स्व. धन्नाराम जी, जाति-माली, निवासी-गोयली, तह. सिरोही
8.श्रीमती संतोष माली पुत्री स्व. धन्नाराम जी, जाति-माली, निवासी- उड, तह. सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 56/2020

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार वैष्णव, अप्रार्थी संख्या 4, 6, 7 व 8 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 दिसम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी सीतादेवी पत्नि अमृतलाल, जाति- माली, निवासी- गोयली के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 4, 6, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार वैष्णव उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 4, 6, 7 व 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 व 5 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पैरवी के संबंध में कोई निर्देश नही होना व्यक्त [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पुनः तारीख पेशी से सूचित किया ग[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने के बा[illegible] ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ, जिससे इन[illegible] अमल में लाई गई।

......पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(3) बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम गोयली की आबादी भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या- 2 व 4 से 8 के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व का एक भूखण्ड मय मकान आया हुआ है, जिसके उत्तर में भबूताराम पुत्र हीराजी माली का भूखण्ड, दक्षिण में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व में विरेन्द्र कुमार पुत्र पूनमाजी माली का मकान एवं पश्चिम दिशा में शान्तिलाल पुत्र चुन्नीलाल जी का मकान आया हुआ है एवं इसका नाप उत्तर की ओर 29.6 फीट, दक्षिण दिशा की ओर से 27.6 फीट, पूर्व दिशा की ओर 86 फीट व पश्चिम दिशा की ओर से 89 फीट कुल क्षेत्रफल 2493.5 वर्गफीट है। यह कि उक्त भूखण्ड मय मकान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 4 से 8 का पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व का है, लेकिन अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने ग्राम पंचायत, गोयली के तत्कालीन पदाधिकारियों से मेल मिलाप कर उक्त पुश्तैनी मकान मय भूखण्ड का अप्रार्थी सीतादेवी के नाम से विधि विरुद्ध पट्टा जारी करवा लिया। जबकि उक्त मकान मय भूखण्ड प्रार्थी हंजादेवी के पति स्वर्गीय श्री धन्नाराम जी की सम्पति है। अप्रार्थी सीतोदवी व अप्रार्थी अमृतलाल जो कि रिश्ते में प्रार्थी की पुत्रवधु व पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 4 भी प्रार्थी का पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 8 प्रार्थी की पुत्रिया है। यह कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड मय मकान व उससे लगते हुए आबादी भूखण्ड प्रार्थीया के ससुर स्वर्गीय वगताराम जी पुत्र मोती माली के मालकी स्वामित्व कब्जे का था तथा वगताराम जी के चार पुत्र थे पूनाराम, चुन्नीलाल, डायालाल व प्रार्थीया के पति स्वर्गीय धन्नाराम माली है। स्वर्गीय वगताराम माली की मृत्यु के बाद वगताराम जी चारों पुत्र अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज हुये जिसमें से पूनाराम, चुन्नीलाल व डायालाल ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम ग्राम पंचायत, गोयली में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर पट्टे जारी करवा लिये है। उक्त चतुर्दशी व नाप का प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थी के पति धन्नाराम के हक हिस्से का है तथा प्रार्थी के पति धन्नाराम जी की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 4 से 8 काबिज हुये अर्थात प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थीया के पति स्व. धन्नाराम माली के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व व हक अधिकार का था तथा स्वर्गीय श्री धन्नाराम माली की मृत्यु के बाद उनके सभी कानूनी उत्तराधिकारी का समान हक हिस्सा एवं कब्जा चला आ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत, गोयली ने अप्रार्थी संख्या-2 से मेलमिलाप कर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को अविधिक लाभ पहुचाने के इरादे से पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये जो आलोच्य पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को अप्रार्थी संख्या-2 की पत्नि सीतादेवी के हक में जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। पैतृक सम्पति का पट्टा काननून सभी विधिक वारिसानों के हक में जारी किया जाना चाहिये था, लेकिन ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 की पत्नि सीतोदवी के हक में पट्टा जारी कर विधि विरुद्ध कृत्य किया है। प्रश्नगत सम्पति में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2, 4 से 8 प्रत्येक का 1/7 - 1/7 हक हिस्सा होता है। प्रश्नगत सम्पत्ति स्वर्गीय [illegible] जी माली के उत्तराधिकारियों की अविभाजित संयुक्त सम्पत्ति [illegible] हुआ है जिसकी

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जानकारी ग्राम पंचायत, गोयली एवं अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को भलीभांति होते हुए भी ग्राम पंचायत, गोयली ने प्रश्नगत सम्पति का अप्रार्थी सीतादेवी के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो कानून गलत है। प्रश्नगत सम्पत्ति जो पुश्तैनी सम्पति होकर अविभाजित सम्पति है का आपस में मिल बैठकर कानूनी रूप से विभाजन करने हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को कहने पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रार्थीया से नाराज हो गया। प्रार्थीया एक वृद्धि महिला है तथा अप्रार्थी संख्या-2 ने संयुक्त पुश्तैनी सम्पति को हडपने की नियत से ग्राम पंचायत, गोयली से अपनी पत्नि सीतादेवी के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत पटटा जारी करवा लिया जो विधि विरुद्ध है। यह कि ग्राम पंचायतत, गायेली ने प्रश्नगत सम्पति का पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की सही रुप से जांच नही की है तथा न ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 8 की सहमति प्राप्त की गई है। ग्राम पंचायत, गोयली ने प्रश्नगत सम्पति का अप्रार्थी सीतोदवी के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी नही की गई है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2398/2017 में पारित आदेश दिनांक 06.3.2017 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण तब ही किया जा सकता जब 50 वर्ष पुराना गृह निर्मित हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण किया जाता है परन्तु प्रश्नगत सम्पति पर अप्रार्थी सीतादेवी का किसी भी प्रकार का स्वतन्त्र कब्जा नहीं है, बल्कि अप्रार्थी सीतोदवी जो कि अप्रार्थी संख्या-2 की पत्नि है। कानूनी हक अधिकार व स्वामित्व कब्जे के सम्बन्ध में अप्रार्थी सीतोदवी का प्रश्नगत भूखण्ड से कोई लेना देगा नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 4, 6, 7 व 8 के अधिवक्ता श्री वैष्णव ने अप्रार्थी संख्या 4, 6 से 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टेशुदा से संबंधित मकान मय भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या, 4 से 8 का पुश्तैनी कब्जेशुदा है जिसका ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी सीतोदवी के नाम से पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 अविधिक रूप से जारी किया गया है। प्रश्नगत का मय भूखण्ड एवं उसके लगते हुए आबादी भूखण्ड प्रार्थीया के ससुर स्वर्गीय वगताराम के मालिकी स्वामित्व एवं कब्जे का था। स्वर्गीय वगताराम के चार पुत्र पुनाराम, चुन्नीलाल, डायालाल तथा प्रार्थीया के पति स्व. धन्नाराम जी माली थे। स्वर्गीय वगताराम जी के मृत्यु के बाद पुनाराम, चुन्नीलाल, डायालाल ने अपने अपने हक हिस्से के भूखण्ड के ग्राम पंचायत, गोयली से पट्टे जारी करवा लिये एवं शेष प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थीया के पति स्व. धन्नाराम माली के हक हिस्से का है एवं धन्नाराम माली के स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त विवादीत भूखण्ड के मालिकी एवं स[illegible]बंधित हक अधिकार बतौर उत्तराधिकारी प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 2, 4 से [illegible] रूप से [illegible] हुये है एवं

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 4 से 8 का समान हक हिस्सा एवं कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत भूखण्ड पुश्तैनी अविभाजित सम्पति है जिसका प्रार्थीया के पति स्वर्गीय धन्नाराम जी के उत्तराधिकारियों में आपस में विभाजन नही हुआ है उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, गोयली से मेल मिलाप कर प्रश्नगत पुश्तैनी सम्पति का पट्टा अपनी पत्नि अप्रार्थी सीतादेवी के नाम से जारी करवा लिया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रश्नगत मकान मय भूखण्ड स्वर्गीय धन्नाराम जी माली के कब्जे स्वामित्व एवं हक अधिकार की संपत्ति है तथा धन्नाराम माली के मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति पर स्वर्गीय धन्नाराम जी के वारिसान प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या-2, अप्रार्थी संख्या 4 से 8 प्रत्येक का समान रुप से 1/7 एक बटा सात हिस्सा कानूनी रुप से निहित हुआ है। प्रश्नगत सम्पति स्वर्गीय धन्नाराम जी के उत्तराधिकारीयों की अविभाजित संयुक्त संपत्ति है जिसका ग्राम पंचायत, गोयली को अप्रार्थी संख्या-2 की पत्नि के नाम से पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है, इसलिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 2493.5 वर्गफीट भूमि का अेप्रार्थी सीतादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति- माली, निवासी- गोयली के पक्ष में पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4, 6 से 8 का का मुख्यत: कथन यह है कि ''प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मकान मय भूखण्ड स्वर्गीय धन्नाराम जी के पुश्तैनी हक हिस्से का है एवं धन्नाराम जी की मृत्यू के बाद प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मकान मय भूखण्ड में स्वर्गीय धन्नाराम जी के सभी विधिक वारिसान का समान रुप से हक हिस्सा बनता है।'' प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4, 6 से 8 का यह भी कथन है कि ''प्रश्नगत सम्पति पुश्तैनी अविभाजित संयुक्त सम्पति है, जिसका ग्राम पंचायत, गोयली को अप्रार्थी संख्या-2 की पत्नि अप्रार्थी सीतादेवी के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन हक अधिकार नही है।''

इस प्रकार, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4, 6 से 8 के कथनों से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 से संबंधित सम्पति अप्रार्थी सीतोदवी के पुश्तैनी नही होकर प्रार्थी के पति एवं अप्रार्थी संख्या-2, 4 से 8 के पिता स्वर्गीय श्री धन्नाराम जी माली की पुश्तैनी सम्पति है जो स्वर्गीय धन्नाराम जी के सभी विधिक वारिसान के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी भूमि है तथा संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी भूमि का ग्राम पंचायत, गोयली को अप्रार्थी संख्या-2 की पत्नि सीतादेवी के नाम से पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, गोयली को प्रश्नगत भूखण्ड के मौके की जांच करके पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: नियमानुसार पट्टा जारी की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 56/2020

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा अप्रार्थी सीतोदवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति- माली, निवासी- गोयली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, गोयली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड के मौके की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested